



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 27.02.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 62 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब साढे चार लाख रुपये) व गांजा बेचकर प्राप्त 9000 रूपये बरामद।

दिनांक 26.02.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.एजाज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम गोटिया थाना जैथरा जिला एटा वर्तमान पता दल्लूपुरा दिल्ली 2.शिवम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मठसेना थाना मठसेना जिला फिरोजाबाद वर्तमान पता आशियाना अपार्टमेन्ट सोसायटी शाहबेरी को आशियाना अपार्टमेन्ट सोसायटी शाहबेरी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः 32 किलोग्राम व 30 किलोग्राम गांजा (कुल 62 किलोग्राम गांजा कीमत करीब साढे चार लाख रुपये) व गांजा बेचकर प्राप्त 9000 रूपये बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.एजाज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम गोटिया थाना जैथरा जिला एटा वर्तमान पता दल्लूपुरा दिल्ली।
- 2.शिवम पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मठसेना थाना मठसेना जिला फिरोजाबाद वर्तमान पता आशियाना अपार्टमेन्ट सोसायटी शाहबेरी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 113/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर बनाम एजाज।
- 2.मु0अ0सं0 114/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर बनाम शिवम।

बरामदगी का विवरण:

62 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब साढे चार लाख रुपये) व गांजा बेचकर प्राप्त 9000 रूपये।



2-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र मय कारतूस बरामद।

दिनांक 27.02.2021 को थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 766/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंग के सदस्य असलम उर्फ सोनू पुत्र रहीमूद्दीन निवासी असालतपुर फरखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के सेक्टर 91 नर्सरी नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा मय 01 कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुआ है।

दिनांक 26.12.2020 को थाना फेस 2 नोएडा पर अनुमोदित गैंग चार्ट पर मु0अ0सं0 766/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम प्यारे मौहम्मद उर्फ प्यारु उर्फ सोनू उर्फ राजू आदि 10 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमे अभियुक्त असलम उर्फ सोनू लम्बे समय से गिरफ्तारी से बचकर छिप रहा था।

अभियुक्त का विवरण:

असलम उर्फ सोनू पुत्र रहीमूद्दीन निवासी असालतपुर फरखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 766/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 99/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 409/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 अवैध देशी तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर



3-थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले नेशनल गैंग के मास्टरमाइंड सुमित यादव का करीबी साथी व 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.02.2021 को थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा दुबई ड्राई फ्रूट्स के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले नेशनल गैंग के मास्टरमाइंड सुमित यादव का करीबी साथी व 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त सत्तन यादव पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम पिथनपुरा थाना पिलखवा जनपद हापुड को थाना क्षेत्र के छोटा डी पार्क सेक्टर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 24.12.2020 को श्री रोहित मोहन द्वारा थाना सेक्टर 58 पर दी गई सूचना पर मु0अ0सं0-650/20 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि पंजीकृत हुआ था। जिसमें मोहित गोयल, ओमप्रकाश जांगिड़, सुमिता नेगी, अमरजीत को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सत्तन यादव उपरोक्त कम्पनी के मास्टरमाइंड सुमित यादव का दाहिना हाथ है व सत्तन यादव ने पूछताछ पर कबूल किया है कि वह ड्राइवर के रूप में काम करता था एवं सुमित यादव की गाड़ी चलाता था। वह 2020 से सुमित यादव के साथ है एवं कम्पनी में इसका प्रमुख कार्य सुमित यादव व अन्य प्रमुख लोगों को कम्पनी लाना व व्यापारियों/कर्मचारियों को डराना धमकाना था जो कम्पनी के खिलाफ जाते थे। कम्पनी के कैश को सुमित यादव के बताये अनुसार बैंको व अलग-अलग जांगहो पर पहुंचाना था। चूंकि कम्पनी व्यापारियों के साथ व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी करती थी एवं फर्जी कागजातो पर कम्पनी बनाई जाती थी। इसलिए सत्तन यादव ड्राइवर व बाऊंसर के तौर पर कम्पनी में नियुक्त किया गया था। कम्पनी सत्तन यादव को वेतन के अतिरिक्त भी पैसा देती थी ताकि सत्तन यादव लालच वश कम्पनी में काम करता रहे।

अभियुक्त का विवरण:

सत्तन यादव पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम पिथनपुरा थाना पिलखवा जनपद हापुड।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0-650/20 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0-21/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0-22/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0-23/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0-24/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0-25/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0-26/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0-27/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0-30/21 धारा-406, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0- 402/18 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।



4-थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटवाने के दौरान टीम पर हमला करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.02.2021 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मु0अ0स0 44/2021 धारा 147/ 148/ 149 / 333/353 भादवि व 7 क्रिमिनल अवेडमेन्ट एक्ट मे वांछित अभियुक्त मदन सिंह पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बख्तावरपुर थाना एक्सप्रेसवे सेक्टर 135 नोएडा को थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बख्तावारपुर के सामने हाइवे की सिंगल सर्विस रोड पर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

मदन सिंह पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बख्तावरपुर थाना एक्सप्रेसवे सेक्टर 135 नोएडा।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 44/2021 धारा 147/148/149/333/353 भादवि व 7 क्रिमिनल अवेडमेन्ट एक्ट थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।



#पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से समय -समय पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में थाना इकोटेक 3 क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते पाए गए 26 व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गयी है।